भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *458

उत्तर देने की तारीख: 02.04.2025

छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करना

***458. श्री सुदामा प्रसाद:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ), मैट्रिकोत्तर अध्येतावृत्ति और 'पढ़ो परदेश' योजना को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए वर्ष-वार कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है;

(ग) क्या इन अध्येतावृत्तियों को बंद किए जाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है, यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस निकाय के सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं; और

(घ) क्या इन अध्येतावृत्तियों को बंद करने से पहले अल्पसंख्यकों के साथ काम करने वाले किसी छात्र निकाय, संगठन, गैर-सरकारी संगठन या समुदाय-आधारित संगठन से परामर्श किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परामर्शों का स्वरूप क्या है और इस पर उनके क्या विचार हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करना' विषय पर दिनांक 02.04.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु श्री सुदामा प्रसाद द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *458 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और पढ़ो परदेश शामिल हैं।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना इस मंत्रालय द्वारा यूजीसी और सीएसआईआर की जेआरएफ योजना की तर्ज पर लागू की गई थी। यूजीसी और सीएसआईआर अध्येतावृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी और ओबीसी छात्रों के लिए और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एसटी छात्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत भी कवर किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के बीच ओवरलैप को देखते हुए, 2022-23 से MANF योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस मंत्रालय की किसी अन्य अध्येतावृत्ति योजना को बंद नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, इस मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना पढ़ो परदेश को लागू किया गया था। हाल के वर्षों में सरकार ने मानदंडों को आसान बना दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सभी छात्रों को आसानी से विभिन्न शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराए हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय बैंक संघ के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए पात्र उधारकर्ता को 7.50 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत किया जाता है। भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना उच्च शिक्षा विभाग की शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को, कम ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। यह भी देखा गया है कि पढ़ो परदेश योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ सीमित है और यह भी कि अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य समान योजनाओं के साथ स्पष्ट ओवरलैप है जो पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों पर भी लागू होती हैं। इस ओवरलैप, सीमित लाभ और कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहजता को देखते हुए, 2022-23 से पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त योजनाओं के तहत पिछले दस वर्षों के दौरान बजट आवंटन और उसके उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	**MANF योजना**		**पढ़ो परदेश योजना**	
वर्ष	**बजट आवंटन**	**स्वीकृत राशि**	**बजट आवंटन**	**स्वीकृत राशि**
2014-15	1.00	0.12	3.50	3.50
2015-16	55.58	55.52	4.19	4.15
2016-17	120.00	119.92	5.32	4.00
2017-18	150.00	124.87	17.00	17.00
2018-19	153.00	97.85	45.00	45.00
2019-20	130.00	100.00	25.00	14.43
2020-21	100.00	73.50	22.00	20.19
2021-22	99.00	74.00	24.00	22.15
2022-23	99.00	98.85	24.00	24.00
2023-24	54.00	83.45	7.00	0.00
2024-25	45.08	25.00	15.30	0.00

*****